RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

नवम्बर-2022 | वर्ष - 14 | अंक : 10 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (अधिशासी अभियन्ता), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली)
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल) मो.: 8299162841
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
ब्यूरो प्रमुख उन्नाव : राजकुमार, उन्नाव, उ. प्र. मो.: 6392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001, मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0001784

क्षेत्रीय सम्मेलनों की आज काफी आवश्यकता है

(विशेष प्रतिनिधि द्वारा) लखनऊ, 9 अगस्त 1981

यह सम्मेलन लखनऊ में उत्तर रेलवे इंस्टीटयूट के हॉल में 8 व 9 अगस्त को बामसेफ के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ।

खुले अधिवेशन के उद्घाटन के पूर्व बामसेफ के अध्यक्ष मा. कांशीराम जी ने क्षेत्रीय सम्मेलन के महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय सम्मेलन के खुले अधिवेशन में अपने समाज के नेताओं का सहयोग लेकर दलित समाज को आगे बढ़ाना है। यह खुला अधिवेशन उनके विचार-सुझाव सुनने के लिए रखा गया है। बामसेफ के प्रतिनिधि इसमें केवल श्रोता रहेंगे। बामसेफ के अन्य अंगों (wings) की भांति क्षेत्रीय सम्मेलन स्थायी कार्यक्रम (regular feature) रहेंगे।

इस क्षेत्र में बामसेफ के कार्यों की प्रगति एवं लेखा-जोखा ज्ञात करने और आने वाले वर्ष के लिए किस तरह का कार्यक्रम बनाना है, यह सब क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से संभव होता है। क्षेत्रीय सम्मेलनों की आज काफी आवश्यकता है और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। इसके माध्यम से हमें अपनी ताकत का पता चलता है। यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाए और इससे पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए, इससे जहाँ क्षेत्र में किए गए कार्य और ताकत का पता चलता है, वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार होती है।

प्रतिनिधि सम्मेलन

9 अगस्त 1981 को प्रातः 9 बजे प्रतिनिधि सम्मेलन का आरम्भ करते हुए बामसेफ के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी ने बताया कि आज हमारा उत्तर जोन क्षेत्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधि सम्मेलन आरम्भ हो रहा है। क्षेत्रीय सम्मेलन का विचार (concept) अभी परिपक्व नहीं हुआ है। यह अभी एक प्रयोग ही है। भोपाल में आयोजित मध्य जोन के क्षेत्रीय सम्मेलन से अनुभव हुआ है कि प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रत्येक जिलों के प्रतिनिधियो के विचार सुने जाएं। आपने कहा कि प्रतिनिधि केवल सुनाने ही नहीं आते बल्कि अन्य प्रतिनिधियों को सुनने भी आते हैं क्योंकि विभिन्न जनपदों की समस्याएं भिन्न-भिन्न व समान हो सकती हैं और उनसे लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए प्रतिनिधि सम्मेलन के लिए समय अधिक चाहिए, जिससे सभी जिलों के प्रतिनिधियों को बोलने-सुनने का अवसर मिल सके। मा. कांशीराम जी ने कहा कि आपके सामने मैं यह इसलिए रख रहा हूँ कि आप भी इस पर सोचें, भविष्य में सम्मेलन को सांय को आरम्भ करने के बजाए प्रातः ही शुरू किया जाए और समय 2 दिन का ही रखा जाए।

मा. कांशीराम जी ने बताया कि पूना में तरह-तरह के तजुर्बे करके 10 वर्ष पूर्व बामसेफ का विचार (concept) लिया गया है। अब 14 अक्टूबर 1981 को चण्डीगढ़ मे इसका तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। उसी प्रकार हमने बहुत से विचार विकसित किए हैं, क्योंकि जब हमें देश की 85 प्रतिशत जनता का सोचना है, तो इसके लिए एक विचार पर्याप्त नहीं है। उनमे से एक विचार क्षेत्रीय सम्मेलन का भी है। हर वर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन होना जरूरी है। हमने यह गत तीन वर्षों के अनुभव से जाना है। इतने बड़े संगठन को बनाने के लिए जोनल कॉफ्रेंस की काफी बड़ी भूमिका है। आपने बताया कि वाराणसी में गतवर्ष आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में केवल तीन जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 46 जिले और बिहार के 3 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आपने आशा व्यक्त की कि अगामी क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के 90 जनपदों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

मा. कांशीराम जी ने बताया कि संगठन के लिए पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया है, जिसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है। इन पांचों जोन में सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर जोन का है, परन्तु जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश की ही सबसे अधिक है। इसलिए जनसंख्या के विचार से यह बहुत बड़ा जोन है। इसके साथ-साथ जोन बनाते समय संचार, आवागमन के साधनों तथा सांस्कृतिक कारणों (Cultural factors) को भी ध्यान में रखा गया है। आपने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर पूरे देश में बिखरी अपनी ताकत देखने को मिलती है, इसे देखकर हमारा हौसला बढ़ता है। आपने आगे कहा कि क्षेत्रीय सम्मेलन में अभी तो यह बताना होता है कि उन्होंने संगठन को किस तरह से बढ़ाया, परन्तु संगठन बन जाने पर उन्हें इस अवसर पर यह बताना होगा कि उनकी यूनिट ने क्या किया?

बामसेफ वालन्टीयर फोर्स का परिचय

मा. कांशीराम जी ने आने वाले अधिवेशन में विशेष रूप से सजग रहने की सलाह दी। आपने कहा कि यह डरने के लिए नहीं बल्कि अधिक तैयार करने के लिए बताया जा रहा है। आपने कहा कि तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन मे बामसेफ वालन्टीयर फोर्स रहेगी जिनकी संख्या 500 होगी। यह फोर्स अनुशासन और व्यवस्था के लिए लगाई जाएगी ये सब कर्मचारी ही होंगे जिनकी निश्चित ड्रेस होगी इस अवसर पर बामसेफ का झंडा स्वीकार कर लिया जाएगा।

अधिवेशन को प्रमुख वक्ताओं में रामविलास पासवान, छेदीलाल साथी, डॉ. मोहम्मद इस्तियाख कुरैशी, रामलाल कुरील, कु. मायावती, मौलाना हासिम साहब, भिक्षु ग. प्रज्ञानंद, डॉ. दाऊजी गुप्ता, डॉ. गया प्रसाद प्रशांत, प्रो. अरूण चौधरी, कुंदन लाल, बाबू लाल, आर.एस. भास्कर, के.आर. शशि, पी.एस. बैंस, राम समुझ सिंह, आर.आर. वर्मा, विनोद कुमार, अजीत राम, रामनाथ राम, धनई प्रसाद राजौरा, पन्नालाल दोहरे, के.एन. पंडित, डी.पी. वर्मा, जी. आर. खन्ना तथा महावीर प्रसाद ने सबोधित किया, संचालन राजबहादुर ने किया।

साभार :
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खण्ड-1, पेज संख्या 128 से 130 तक संकलन/सम्पादन ए. आर. अकेला

हमें दिल और दिमाग की गरीबी को दूर करना चाहिए

(कलकत्ता)

(विशेष प्रतिनिधि द्वारा) (कलकत्ता 31 अगस्त 1981)

''दलित और शोषित समाज के कुछ लोगो ने सरकारी सेवाओं मे आज इतनी तरक्की की है कि हमें अपने आन्दोलन को चलाने के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन धन से नहीं, दिल और दिमाग से गरीब हैं। अपना आन्दोलन चलाने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग की गरीबी को दूर करना चाहिए।''

ये उद्‌गार बामसेफ के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम जी ने विद्यार्थी सभागृह पूर्व–कलकत्ता में आयोजित 30–31 अगस्त को दो दिवसीय बामसेफ उत्तर–पूर्व जोन के क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रस्तुत किये। इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. दिलीप हालदार ने की तथा इस अवसर पर डॉ. परमानन्द हलदार मुख्य अतिथि थे। मा. नकुल मलिक ने अतिथियों का स्वागत किया। मा. एम.एन. तालुकदार ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियो तथा अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मा. कांशीराम जी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल में यह प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ है।

मा. कांशीराम ने पश्चिमी बंगाल के कार्यकर्ताओं और नागपुर के कार्यकर्ता मा. एस. के. पाटिल को धन्यवाद दिया, 'जिन्होंने पश्चिमी बंगाल में सम्मेलन के आयोजन की तैयारियाँ कीं, तथा यहाँ आकर आपके बीच दलित और शोषित समाज` महत्वपूर्ण क्षेत्र में बोलने का मौका दिया।'

जाँच प्रकृति का सम्मेलन

मा. कांशीराम जी ने कहा कि सही अर्थ में यह सम्मेलन नहीं है, बल्कि बामसेफ की एक सभा है। यह दिमाग में रखा जाता है कि पूरे भारत में क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तैयारी है। इस सभा को जाँच प्रकृति का क्षेत्रीय सम्मेलन कहा जा सकता है। आपने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग–अलग तरह की समस्याएं होती हैं। इसमें पश्चिमी बंगाल अपवाद नहीं है, जब हम संगठन को इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं तो हमे यहाँ की समस्याओं और विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

बामसेफ का विचार

बामसेफ के विचार (Concept) को समझाते हुए मा. कांशीराम जी ने कहा कि बामसेफ पिछड़े वर्ग (एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी.) तथा अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षित कर्मचारियो का अखिल भारतीय संगठन है। आज देश में प्रत्येक राजनैतिक दल तथा संगठन यह मानते हैं कि इन समुदायों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं तथा वे उनको हल करने का दावा करते हैं। इन सब पार्टियों और संगठनों पर ब्राह्मण, बनिया और सामन्तों (बड़ा जमींदार) का आधिपत्य हैं, जो कि हमारी समस्याओं के मूल कारण हैं, परन्तु हम कहते हैं, कि हम अपनी समस्याएं स्वयं हल कर सकते हैं– इसके लिए हमें संगठित होना है। बामसेफ तथा अन्य संगठनों में यह एक प्रारम्भिक अन्तर है।

लाभ और हानियाँ

मा. कांशीराम जी ने कहा कि इतिहास से हमें समझ लेना चाहिए कि हम आज तक अपनी समस्याओं को हल करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार अपनी स्वयं की समस्याओं को हल करने से आज की परिस्थितियों में हमारा उद्‌देश्य पूरा नहीं होता। हमें यह ज्ञात करना है कि हम समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। इस दिशा में हमारे पास कुछ सुविधाएं हैं तथा कुछ परेशानियाँ हैं। विडम्बना यह है कि आज तक हम समस्याओं को हल करने में असफल रहे हैं और लाभ यह है कि देश में दलित और शोषित वर्गों की संख्या न केवल बहुसंख्य बनाती है बल्कि 85 प्रतिशत है और लोकतंत्र में बहुसंख्या का अपना महत्व होता है। हमें अपने अतीत के कार्यों से सबक लेना चाहिए तथा यह जानना चाहिए कि हम असफल क्यों रहे।

ब्राह्मणवादी प्रणाली

आपने कहा कि विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास में परिवर्तन आये हैं, परन्तु हमारे देश में कोई परिवर्तन नहीं हुए, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? उसका कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था है जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसके कारण सदियों हमारे ऊपर अन्याय होता रहा है।

पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से भारत में कुछ सुधार हुए। सबसे पहले सवर्ण हिन्दू जाति के मा. राजाराम मोहन राय ने सुधार आरम्भ किए। उनकी ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य समाज आदि उल्लेखनीय हैं। पाश्चात्य शिक्षा द्वारा कुछ पिछड़ी जातियों में भी कुछ जागृति आई।

1948 में महाराष्ट्र मे महात्मा ज्योतिबा फुले को ब्राह्मणों द्वारा बारात से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि वह अपने ब्राह्मण दोस्त की शादी में जा रहे थे। उन्होंने इसके विरूद्ध विद्रोह किया। स्थिति का विश्लेषण करने पर उन्होंने जाना कि भारतीय समाज में दो वर्ग हैं, व्यवस्था से लाभ उठाने वाले, तथा दूसरे इस हानि को उठाने वाले जिन्हें कि शूद्र और अतिशूद्र कहा जाता है। इसलिए उन्होंने इन वर्गों को संगठित करने का निश्चय शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले। इससे दलितों में जागृति आई। महात्मा फुले के प्रभाव से अछूतो को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे अब्राह्मणों में भी जागृति आई। जब डॉ. अम्बेडकर पढ़ रहे थे, अब्राह्मण महाराजा कोल्हापुर–बड़ौदा ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सहायता का आश्वासन दिया। इस प्रकार महात्मा फुले द्वारा इस दिशा में समस्त दलित समुदायों/जातियों के उत्थान के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप डॉ. अम्बेडकर ने संघर्ष में भाग लिया।

बदलती परिस्थितियाँ

मां कांशीराम ने आगे कहा कि महात्मा फुले ने अपना पूरा जीवन शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, के विचार पर कार्य करने के लिए बिताया, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन का प्रमुख नारा बनाया। अपने लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पैमाने पर अवसर प्राप्त हुए, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल गई थीं।

प्रतिघात और सुधार

मा. कांशीराम ने पुनः कहा कि बंगाल के अछूतों ने 60–70 वर्ष पूर्व आत्म–सम्मान के लिए संघर्ष किया। साथ ही 20वीं शताब्दी के आरम्भ में दलितों द्वारा देश के सभी भागों में आत्म–सम्मान के लिए आन्दोलन चलाये गये। ये आन्दोलन पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शासन की देन थे। आत्म–सम्मान आन्दोलन खासतौर पर महात्मा फुले और डॉ. अम्बेडकर के आन्दोलन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है ''प्रतिघात और सुधार' (Rebuff and Reform) आन्दोलन एक सुधार आन्दोलन उच्च जाति के हिन्दुओं का था और दूसरी ओर सुधार के लिए संघर्ष जो कि उन्होंने आरम्भ किया, जिनका कि ऊँची जाति के हिन्दुओं ने अपमान किया।

नेतृत्व

इन आत्म–सम्मान के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप और साथ ही डॉ. अम्बेडकर के अभ्युत्थान से दलित और शोषित जातियों को नेतृत्व मिला। विशेषतः अछूतों के लिए डॉ. अम्बेडकर के निर्विवाद नेतृत्व से आन्दोलन को एक निश्चित दिशा मिली।

शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वे महसूस करते थे कि शिक्षा से वंचित रखा जाना हमारी गुलामी का मूल कारण है। 1943 में उन्होंने अनुसूचित जाति के 26 योग्य विद्यार्थियों को विदेश शिक्षा` लिए भेजा और उनके लिए उन्होंने ब्रिटिश वायसराय से 3 लाख रूपये का अनुदान प्राप्त किया था। वैसे 1950 में संविधान लागू हुआ जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों को भी विशेष सुविधायें मिलीं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। हमने 1948–49 के आंकड़ों से आरम्भ किया जबकि कॉलेजों में जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या 731 थी, जिसकी संख्या आगे चलकर 5 लाख हो गई थी।

सेवाएं

सेवाओं में आरक्षण के कारण जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वे नौकरियों में लगे और शिक्षा की वृद्धि के साथ आज एस.सी./एस.टी. के शिक्षित कर्मचारियों की संख्या 20 लाख हो गई है। ऊँची सेवाओं में वृद्धि खासतौर से प्रशासकीय सेवाओं में सराहनीय है। 1963 में आई.ए.एस. तथा एलाईड सेवाओं में दिए आरक्षण के लिए बधाई दी जाती है। इन सेवाओं का महत्व इतना है कि वर्ष 1975 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 26 प्रतिशत अभ्यर्थी चुने गए जबकि आरक्षण 22 प्रतिशत था।

राजनीति

राजनीति की चर्चा करते हुए मा. कांशीराम जी ने कहा कि राजनीति में आरक्षण कोटा 1952 से ही पूरा है जबकि प्रथम सामान्य चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि इन आरक्षित सीटों पर कोई अन्य चुनाव नहीं लड़ सकता था।

दलितों का बुद्धिजीवी वर्ग

मा. कांशीराम जी ने दलितों का बुद्धिजीवी वर्ग (Oppressed Elite) की प्रक्रिया को समझाया। आपने कहा कि राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के कारण जो कि आरक्षण की देन है समाज में दो बुद्धिजीवी वर्ग (इलिएट) तैयार हो गए हैं। प्रथम वर्ग नेताओं का है जिनकी संख्या लगभग 10 हजार है, और दूसरा वर्ग शिक्षित कर्मचारियों का है जिनकी संख्या 20 लाख है, इन दोनों वर्गों को 'ओप्रेस्ड इलिएट' बताया जा सकता है।

प्रत्येक देश के समाज में दो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, सत्ताधारी और विरोधी, परन्तु हमारे देश में तीसरा विशेष वर्ग 'दलित बुद्धिजीवी वर्ग'' (oppressen Elite) है। विशेष वर्ग की विचित्रता यह है कि यह हमेशा अपने स्वयं के हितों की रक्षा करता है, चाहे देश में किसी भी तरह की स्थिति क्यों न उत्पन्न हो रही हो। दलित बुद्धिजीवी वर्ग जिनमें राजनीतिक तथा शिक्षित कर्मचारी भी अपने स्वयं` हितों को पूरा करने में लगे हुए हैं, वे उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते जिनमें कि उन्होंने जन्म लिया है। वस्तुतः वे समाज से वहीं तक सम्बद्ध हैं जहाँ तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो समाज से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

आन्दोलन को धक्का

दलितों के इस विशेष वर्ग के व्यवहार के परिणामस्वरूप आन्दोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यह मुख्य कारण है कि हम आज अपने आन्दोलन को क्यों नहीं चला पा रहे, जबकि हमारे पूर्वजों ने 20वीं शताब्दी के आरम्भ में उसे चलाया था। 60–70 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज कुछ कर सके थे। परन्तु आज हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमने शिक्षा तथा राजनीति में पर्याप्त उन्नति की है।

पश्चिम बंगाल मात्र एक राज्य है जहाँ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। कम्युनिस्ट मित्रों से इसका कारण ज्ञात हुआ कि वे एस0सी0/एस0टी0 के लोगों को मंत्री बनने के योग्य नहीं समझते, परन्तु उनके पूर्वज 60–70 वर्ष पूर्व योग्य थे, जबकि उन्होंने अपना तथा शूद्र आन्दोलन चलाया था।

आज हम विशेष सुविधाओं में रह रहे हैं, जो हमारी अपनी उन्नति है। हम अपना स्वयं का आन्दोलन नहीं चला सकते, जबकि हमारे पूर्वजों के बिना किसी अवसर/सुविधाओं के चलाया था। ऐसा क्यों है? जो कि समाज से सम्बन्धित हैं, वे नेता हो सकते हैं, शिक्षित कर्मचारी हो सकते हैं, उन्होंने समाज को अपने उत्थान के लिए नेता की हैसियत से प्रयोग किया है। भूतकाल में उन्होंने इसे प्रयोग किया है, आज भी वे इसे प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु वे समाज के बारे में कभी नहीं सोचते।

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

हम बेईमान है

इस पृष्ठभूमि को मस्तिष्क में रखते हुए पूना में जहाँ हमने बामसेफ की शुरूआत की, हमने परिस्थिति का ध्यान किया और अंत में निष्कर्ष निकाला कि हम लोग बेईमान हैं। आज हम पढ़े-लिखे और सुयोग्य हैं, भारत के लगभग 410 जिलों में से हमने 90 जिला मजिस्ट्रेट बनाये हैं। महाराष्ट्र में हमारे 5 सचिव हैं जिनमें राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल हैं। दो-तीन वर्ष पूर्व योजना आयोग की सेवा के लिए 27 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था जिसमें से 11 अनुसूचित जाति के थे। अतः हम देश के कारोबार तथा प्रशासन को चलाने की क्षमता रखते हैं, हम इसके लिए योजनाएं बना सकते हैं, परन्तु हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कि यह हम खासतौर से अपने स्वार्थ और बेईमानी के कारण नहीं कर पाते।

अवसर प्राप्त नहीं

इस प्रकार पूना में कुछ लोगों ने स्वार्थपरता और बेईमानी को त्यागने की सोची, परन्तु जब ईमानदारी का रास्ता अपनाया तो हमारे साथ बहुत कम लोग आये। डॉ. अम्बेडकर 1943 में अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए ब्रिटिश वायसराय से तीन लाख रूपये खर्च करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर रहे थे, उन्होंने इसकी व्यवस्था की। वे अपनी योग्यता से समाज के लिए कुछ करते थे, उन्होंने शिक्षा के पक्ष में वायसराय की सहमति प्राप्त कर ली। उन्होंने सोचा था कि यदि हमारे समाज के 50 लोग तैयार होंगे तो इस समाज का भाग्य उज्जवल हो जायेगा, इसलिए उन्होंने वायसराय से कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे अपने लोगों को ऊपर उठाने का मौका दिया जाये, जिससे वे अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। डॉ. अम्बेडकर को महात्मा फुले के आन्दोलन के कारण अवसर मिला था और अब उन्होंने सब लोगों को अवसर दिया। आज हम जो कुछ भी हैं उनके संघर्ष का ही परिणाम है। आज हम 20 लाख शिक्षित कर्मचारी हैं, जिन्हें कि अवसर मिला है, परन्तु हम समाज के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। डॉ. अम्बेडकर की आशा 50 व्यक्तियों पर थी, क्या हम डॉ. अम्बेडकर की आकांक्षाओ को पूरा करने के लिए 50 व्यक्ति तैयार कर सकते हैं, आज हमारे पास हैं? यदि हम इस तरह के 50 लोग प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या हम अधिक प्रगति की आशा कर सक्ते हैं? डॉ. अम्बेडकर की आशा के 50 लोगों के बराबर कौन हो सकता है।

बामसेफ का निर्माण

हम जानते हैं कि हमें अधिक लोग प्राप्त नहीं हो सकते इस प्रकार पूना के समझदार लोग आये और 6 दिसम्बर 1973 को लोगों को तैयार करने लिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया। शिक्षित कर्मचारियों में से समाज को उसका ऋण चुकाने के लिए हमें ऐसे लोगों की खोज करनी है तथा कार्य करने के लिए तैयार करना है। इस प्रकार 6 दिसम्बर 1973 को बामसेफ बनाई गई।

बामसेफ का जन्म

संगठन को एक दिन में नहीं बनाया जा सकता, यह एक लम्बी प्रक्रिया है, यह विचार 6 दिसम्बर 1973 में स्वीकार किया गया था, परन्तु तब हमने 5 वर्ष की लम्बी योजना बनाई थी और 5 वर्ष बाद 6 दिसम्बर 1978 को बामसेफ का जन्म समारोह मनाने का निर्णय लिया था। पूरे देश में कर्मचारियों को संगठित करने के बाद उन्हें समाज का ऋण चुकाने के लिए तैयार किया गया। इस प्रकार हमने 5 वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया और 6 दिसम्बर 1978 को वोट क्लब नई दिल्ली के प्रांगण में बामसेफ का जन्म हुआ।

विश्वास प्राप्त करना

मा. कांशीराम जी ने बताया कि एस०सी० / एस०टी० के पाँच संसद सदस्यों जिन्होंने कि बामसेफ जन्म को स्वीकृति दी, इन लोगों ने जानना चाहा कि बामसेफ के पीछे कौन है तथा इतने बड़े अधिवेशन के आयोजन पर आश्चर्य व्यक्त किया। मा. कांशीराम जी ने तब कहा कि हमने 5 वर्ष लगातार कार्य करके शिक्षित कर्मचारियों को संगठित किया है तथा उन्हें समाज का ऋण चुकाने के लिए तैयार किया है जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। सांसद बहुत खुश हुए तथा उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि समाज से कुछ मांगने के स्थान पर उसे लौटाना चाहते हैं।

साधनों का ठीक तरह से उपयोग

मा. कांशीराम जी ने समझाया कि किस तरह बामसेफ अपने स्त्रोतो का उपयोग ठीक तरह से करती है और उन्होंने बामसेफ के खर्चे के सम्बन्ध में सप्रमाण बताया और कहा कि हम कम से कम साधन जुटाकर काम कर सकते हैं।

मा. कांशीराम जी ने प्रैस और प्रकाशनों के बारे में जानकारी दी। आपने कहा कि आज हम 15 प्रकाशन और 6 भाषाओं में 7 स्थान से चला रहे हैं। बामसेफ के द्वारा 1991 तक जबकि हम डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का सौवां जन्मदिन मनायेंगे तब हमारे 55 दैनिक पत्र भारत के 32 स्थानों से प्रकाशित होंगे उनमें से कलकत्ता भी एक स्थान होगा। 100 अन्य पत्र-पत्रिकाएं अलग-अलग विषयों और भाषाओं में होगी। न केवल यही बल्कि हमारी स्वयं की समाचार एजेन्सी P.T.I., U.N.I. की तरह होगी। इस पर 90 करोड़ की लागत आयेगी, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है।

गरीबी दिल और दिमाग से

हम गरीब हैं परन्तु धन से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से। यदि हम इस गरीबी को दूर कर लेते हैं तो हमारे पास मिशन के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। डॉ. अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर में कहा था कि यदि हम अपनी आय का 95 प्रतिशत अपने ऊपर खर्च करते हैं तो हमें 5 प्रतिशत समाज के लिए देना चाहिए। इसलिए यह बहुत बड़ी चीज है, परन्तु मैं आपका ध्यान केवल शिक्षित कर्मचारियों की ओर ही आकर्षित करना चाहूँगा। आज 20 लाख कर्मचारी है, जिनकी 2400 करोड़ रूपये वार्षिक आय है। हमने 10 साल के लिए 104 करोड़ की योजना बनाई है, 10 वर्षों में हमारी आय 36020 करोड़ रूपये होगी। हम डॉ. अम्बेडकर के अनुयायी हैं जब उन्होंने कहा था कि हमें 5 प्रतिशत समाज के लिए देना चाहिए तब 90 करोड़ कोई समस्या नहीं है।

गैर-राजनैतिक जड़ों को मजबूत बनाना

बामसेफ एक साधारण मिशन नहीं है, हम शिक्षित कर्मचारियों को संगठित कर रहे हैं जो कि अधिकतर सरकारी सेवाओं में हैं। बामसेफ हमेशा धर्म, राजनीति और संघर्ष से दूर रहेगी। हमारे समाज की तो जड़े हीं नहीं है, बामसेफ समाज की जड़े लगायेगी तथा मजबूत बनायेगी। जो कि पूर्णतः शासन की कानूनी ढंग से कार्य करेगी। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम अपना आन्दोलन चला सकते हैं। हम अपनी राजनीति चला सकते हैं, जबकि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हों, राजनीति हमारे संघर्ष की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हो सकती है।

राष्ट्रीय अधिवेशन

अपने भाषण के अन्त में मा. कांशीराम जी ने बताया कि हमारा तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन 14 से 18 अक्टूबर 1981 तक चण्डीगढ़ में होगा और उनसे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया जो कि बंगाल में बामसेफ के साथ आने की सोचते हैं, इससे उन्हें बामसेफ को जानने और समझने का मौका मिलेगा।

सामाजिक प्रक्रिया (Social action)

अपने भाषण का समापन करने से पूर्व मा. कांशीराम जी ने सामाजिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में बताया। सोशल एक्शन शीघ्र शुरू होगा और यह अपना उद्देश्य प्राप्त करने तक रूकेगा नहीं, क्योंकि वर्षों के केन्द्रित प्रयासों के बाद हमने अपने आप को तैयार किया है, हमें अधिक तैयारी की आवश्यकता है, हमें अपने समाज को तैयार करना है और जब हमारी ये तैयारी पूरी हो जायेगी तब हमारी सामाजिक प्रक्रिया (Social action) आरम्भ हो जायेगी।

मुख्य अतिथि डॉ. परमानन्द हालदार के भाषण के बाद डॉ. दिलीप हालदार ने अपन अध्यक्षीय भाषण दिया। इसके बाद प्रश्नोत्तर काल में विभिन्न विषयों तथा आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 17 प्रश्न पूछे गये, जिनका मा. कांशीराम जी ने उत्तर दिया, जिनसे श्रोता सन्तुष्ट हुए। आर.एस. विश्वास तथा उनके साथियों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कठिन और सराहनीय परिश्रम किया।

मा. एस.के. पाटिल, मा. आर.एस. विश्वास तथा उनके अन्य साथियो ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कठिन और सराहनीय परिश्रम किया।

(बहुजन संगठक, वर्ष-2, अंक-19, 14 सितम्बर, 1981)

साभार :
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण
खण्ड-1, पेज संख्या 133 से 143 तक
संकलन / सम्पादन ए. आर. अकेला

गैर-राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत करना आवश्यक है

(हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा), सोनीपत 2 फरवरी, 1981

बामसेफ सोनीपत जिला यूनिट कार्यालय का उद्घाटन बामसेफ के अध्यक्ष मा. कांशीराम जी द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1981 को सम्पन्न हुआ।

सोनीपत जिला यूनिट कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित जन-समुदाय को सम्बोधित करते हुए मा. कांशीराम जी ने कहा कि वर्तमान अवस्था में शोषित समाज की हालत बहुत दयनीय है। इन लोगों की हालत सुधारने के लिए गैर-राजनीतिक गतिविधियो को मजबूत करना आवयश्क है। शोषित और पीड़ित समाज के शिक्षित कर्मचारियो को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए कांशीराम जी ने कहा कि दलित और शोषित समाज को सही मंजिल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसीलिए बामसेफ शिक्षित कर्मचारियों को एक झंडे के नीचे संगठित कर इस मंजिल की और आगे बढ़ा रहा है।

जनसभा को कु. मायावती ने भी सम्बोधित किया कार्यक्रम का संचालन रिसाल सिंह सहरावत ने किया। बामसेफ कार्यालय उद्घाटन के पूर्व स्थानीय धानक बस्ती के कार्यकर्ताओं ने मा. कांशीराम जी का भव्य स्वागत किया।

साभार :
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण
खण्ड-1, पेज संख्या 103
ए. आर. अकेला

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

नारी उत्थान

विभिन्न युगों में भारत में नारी को प्राप्त अधिकारों की मीमांसा के आधार पर डॉ. आम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि जब समाज में नारी को स्वतंत्रता थी और उसे पुरूषों के समान आत्म विकास के अवसर प्राप्त थे, भारतीय समाज प्रगति पर था, किन्तु जब नारी के अधिकारों की उपेक्षा हुई, समाज की प्रगति अवरूद्ध हो गई।

स्मृतिकाल विशेष रूप से मनु के पूर्व तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों को वेद की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन्हें गुरूकुलों में प्रवेश मिलता था। स्त्रियाँ न केवल वेद मंत्रों का उच्चारण करती थीं बल्कि वेद की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में पारंगत एवं उनकी मीमांसा में पटु भी थीं। स्त्रियाँ शिक्षक थीं एवं कन्याओं को पढ़ाती थीं। विशेष रूप से धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म के ज्ञान में स्त्रियाँ बहुत निपूर्ण थीं। जनक एवं सुलभा तथा याज्ञवल्क्य एवं गार्गी आदि के मध्य संवादों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में अनेक ऐसे अवसर आये जबकि स्त्रियों ने पुरूषों के साथ खुली बहस में भाग लिया। (आम्बेडकर, 1987 : 432)

यह कहना कठिन है कि प्राचीन राज्य–प्रशासन–तंत्र में महिलाओं की क्या भागीदारी थी किन्तु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्राचीनकाल में देश के बौद्धिक एवं सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। अथर्ववेद के एक उदाहरण से स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ भी पुरूषों की भाँति उपनयन की अधिकारी थीं और सामान्यतया ब्रह्मचर्य की समाप्ति के पश्चात ही उनका विवाह होता था (आम्बेडकर, 1977)। प्राचीनकाल में अनेक स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो विदुषी थीं, उन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की थी।

बुद्ध ने समाज में नारी की स्थिति को उठाने के लिए बहुत प्रयास किया। समाज में शिक्षा व आत्मविकास के अवसर का जहाँ तक प्रश्न है बुद्ध ने नारी एवं पुरूष में भेद नहीं किया। वे बुद्धि एवं चरित्र में नारी को पुरूष से कम नहीं मानते थे। पुरूषों की भाँति स्त्रियों को धर्म की दीक्षा, सन्यास अथवा परिव्रजत्व की अनुमति प्रदान कर बुद्ध ने नारी को पुरूषों के समकक्ष धार्मिक अधिकार प्रदान किया। धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिये उन्होंने भिक्षुसंघों की भाँति भिक्षुणी संघों की भी स्थापना की (आम्बेडकर, 1977)

बुद्ध का कहना था कि इस बात का कोई आधार नहीं है कि पुत्र जन्म से पुत्री से अधिक योग्य होता है। कन्या पुत्र से अधिक बुद्धिमान और गुणी हो सकती है। इसलिये कन्या के जन्म पर माता–पिता को दुःखी नहीं होना चाहिये। बुद्ध स्त्री को सृष्टि की सर्वोच्च कृति मानते थे क्योंकि वही बोधि–सत्व एवं विश्व सम्राटों को जन्म देती है। बुद्ध के अनुसार नारी उन रत्नों में एक है जो व्यक्ति को चक्रवर्ती बनाते हैं। बुद्ध का कहना था कि जो व्यक्ति, परिवार या समाज स्त्री को स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान नहीं करता उसका विनाश हो जाता है (आम्बेडकर, 1987)।

जैसा पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि प्राचीनकाल में स्त्रियों का विवाह वयस्कता प्राप्ति के बाद होता था। उन्हें तलाक के अधिकार भी प्राप्त थे। पति को सामान्य स्थिति में अपनी पत्नी को तलाक देने अथवा दूसरी पत्नी से विवाह करने का अधिकार नहीं था। कौटिल्य ने पुरूषों की भाँति स्त्री को भी तलाक का अधिकार प्रदान किया। तलाकशुदा स्त्री अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की पात्रता रखती थी। तलाकशुदा अथवा विधवा स्त्री पुनर्विवाह भी कर सकती थी। कौटिल्य ने विवाहिता स्त्री को आर्थिक भरण–पोषण के लिए अपने पति की सम्पत्ति में पर्याप्त अधिकार प्रदान किया। संक्षेप में मनु के पूर्व भारतीय समाज में स्त्री स्वतंत्र थी। वह पुरूष की दासी नहीं बल्कि सहभागी थी (आम्बेडकर 1979:437)

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में एक समय ऐसा था जबकि भारतीय समाज में स्त्रियों का बहुत आदर किया जाता था। उन्हे शिक्षा, आत्मविकास, विवाह, तलाक एवं संपत्ति संबंधी आवश्यक अधिकार भी प्राप्त थे, किन्तु बाद में उनकी दशा बहुत खराब हो गई। वे पुरूषों की जीवन संगिनी नहीं बल्कि दासी बन गई ऐसा क्यों हुआ? इसके लिये उत्तरदायी कौन है?

नारी के पतन के लिये उत्तरदायी मनु

डॉ. आम्बेडकर का कहना है कि भारतीय समाज में नारी के पतन के लिये मनु उत्तरदायी हैं। मनु ने वर्गीय हित एवं स्वार्थ से प्रेरित होकर मानव धर्म शास्त्र के रूप में एक ऐसे सामाजिक विधान की रचना की जो समाज में स्त्रियों के पतन का कारण बना।

मनु की दृष्टि में स्त्रियाँ निम्न होती हैं। उनमें अशुद्ध इच्छाओं, कुविचार, बेवफाई तथा कुआचरण का वास होता है (मनु 9:17)। पुरूष को आकर्षित कर अपने वश में करना स्त्री का स्वभाव है। इसीलिये स्त्रियों के संपर्क में पुरूष कभी भी सुरक्षित नहीं रहता (मनु, 2:213)। स्त्री केवल मूर्ख को ही नहीं अपितु विद्वान को भी जला सकती है और उसे इच्छाओं का दास बना सकती है (मनु 2:214)। स्त्री पुरूष के सौन्दर्य अथवा वायु का विचार नहीं करती। वह स्वयं को सुंदर अथवा कुरूप व्यक्ति को भी समर्पित कर सकती है (मनु 9:14)।

मनु (9:15) के अनुसार स्त्री पर चाहे कितनी ही चौकसी क्यों न रखी जाये वह अपने पति के प्रति बेवफा हो सकती है। इसलिये स्त्री कों कभी भी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिये अन्यथा वह कष्ट का कारण बन सकती है (मनु 9:5)।

मनु (9:3, 5:148) का कहना है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था अथवा पति की मृत्यु के उपरांत पुत्र के अधीन रहना चाहिये। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिये।

मनु ने न केवल स्त्री की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे पुरूष के अधीन किया बल्कि उसे आत्मनिर्णय के अधिकार से भी वंचित किया। मनु (5:147) के विचार में स्त्री चाहे कन्या, युवा अथवा वृद्ध हो, को कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिये।

मनु ने उपनयन एवं शिक्षा के अधिकार से नारी को वंचित करते हुये नारी समाज को बहुत बड़ा आघात पहुँचाया। उन्होंने विवाह को नारी की प्रमुख संस्कार और पति की सेवा ही उसका सबसे बड़ा धर्म निरूपित किया। मनु (5:155) का कहना है कि पत्नी के लिये किसी प्रकार की पूजा, उपवास या व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। पति की सेवा और उसकी आज्ञा का पालन करना ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। इससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

मनु का कहना था कि जो पिता अपनी कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने के पूर्व नहीं करता वह पाप का भागी होता है। मनु के इस नियम का दुष्परिणाम यह हुआ कि समाज में स्त्रियों का विवाह अल्पायु में होने लगा। ऐसा होने से अपने जीवन साथी के चुनाव में स्त्रियों की भूमिका नगण्य हो गई।

जहाँ तक दाम्पत्य जीवन संबंधी अधिकारों का प्रश्न है मनु के नियम एक तरफा है, जो पुरूष को नारी की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये मनु ने विवाह को एक धार्मिक संस्कार निरूपित किया। इसका तात्पर्य यह है कि विवाह बंधन ईश्वरीय है, जिसका विच्छेद जीवन पर्यन्त संभव नहीं है, किन्तु मनु का यह नियम केवल नारी के लिये है क्योंकि वह विवाहोपरान्त पत्नी को पति से पृथक रहने की अनुमति नहीं देता (मनु, 9:45), जबकि पति अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। इतना ही नहीं मनु ने स्त्रियों के लिये ऐसे नियम बनाये जिनके तहत पति द्वारा बेची अथवा परित्याग किये जाने के उपरान्त भी पत्नी अपने पति से मुक्त नहीं होती (मनु, 9:46)।

पति यदि गुण विहीन अथवा दरिद्र हो तो भी एक विश्वास पात्र स्त्री को उसकी निरंतर पूजा करनी चाहिये (मनु, 5:154)। मनु का कहना है कि पत्नी को अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिये। पति यदि मर जाये तो स्मरण में भी पत्नी को उसका अपमान नहीं करना चाहिये (मनु, 5:15), किन्तु पत्नी यदि गलती करती है तो पति रस्सी या फटे बाँस से उसकी पिटाई कर सकता है (मनु, 7:299)।

मनु ने नारी एवं शूद्र को न केवल शैक्षिक बल्कि आर्थिक अधिकार से भी वंचित किया। मनु (9:416) के अनुसार स्त्री, शूद्र और दास के पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती। जो कुछ भी उसके पास है वह उसके स्वामी का है (आम्बेडकर, 1977, 1987)।

नारी के लिये उपर्युक्त सीमाओं एवं प्रतिबंधों का प्रावधान करके मनु ने न केवल उसे घर की चाहर दीवारी में बंद कर दिया बल्कि उसके सामाजिक दायित्व को बहुत ही सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप समाज की प्रगति में नारी का योगदान नगण्य हो गया, जिससे सामाजिक प्रगति अवरूद्ध हो गई।

मनु ने नारी विरोधी कानून क्यों बनाये

यद्यपि नारी समाज के पतन के लिये प्रत्यक्ष रूप से तो मनु ही उत्तरदायी है किन्तु नारी की दुर्दशा का अतीत मनु से कहीं अधिक पुराना है। सच पूछा जाये तो भारत में नारी का पतन ब्राह्मणवाद के उत्थान से शुरू होता है। वस्तुतः ब्राह्मणवाद ही नारी की अवनति के लिये उत्तरदायी है। मनु तो ब्राह्मणवाद की उपज थे। भारत में जब से ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ स्त्रियों के संबंध में ब्राह्मणों की धारणा अच्छी नहीं थी। मनु ने तो केवल प्रचलित सामाजिक धारणा को कानून का स्वरूप प्रदान किया (आम्बेडकर 1977, 1987)।

स्त्री स्वातंत्र्य और ब्राह्मणवाद में जन्मजात बैर रहा है। ब्राह्मणवाद समाज में वर्गीकृत असमानता अर्थात् वर्ण एवं जाति–भेद की स्थापना करता है। इसके विपरीत नारी स्वातंत्र्य का सिद्धांत अध्ययन, आत्मोन्नति, स्वावलम्बन तथा जीवन साथी के चुनाव आदि विषयों में नारी को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान करता है। जिसके चलते समाज में ब्रह्मणवाद द्वारा निर्मित जाति एवं वर्ण संबंधी सामाजिक दीवारें अधिक समय तक टिक नहीं सकतीं।

डॉ. आम्बेडकर (1977, 1987) का कहना है कि नारी एवं शूद्र आर्य समाज के दो ऐसे वर्ग थे जो बौद्ध धर्म की ओर सरलता से आकर्षित हुये, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म के सम्मुख ये वर्ग सबसे बड़ी चुनौती साबित हुये। इसीलिये इन वर्गों को शिक्षा, आत्मविकास तथा अन्य सामाजिक अधिकारों से वंचित कर बौद्धिक एवं सामाजिक दृष्टि से दास बनाना ब्राह्मणों के लिये आवश्यक था। मनु द्वारा स्त्रियों पर अनेक निर्योग्यतायें थोपने का यही रहस्य है। क्योंकि मनु जानते थे कि बौद्ध धर्म के आक्रमण से ब्राह्मणवाद की यदि रक्षा करनी है तो स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है।

नारी के उत्थान में डॉ. आम्बेडकर की भूमिका

डॉ. आम्बेडकर की मान्यता थी कि नारी की प्रगति के बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है। समाज में नारी की स्थिति को आम्बेडकर समाज की प्रगति का मापदण्ड मानते थे। उनका कहना था कि ''मैं किसी समाज की प्रगति इस आधार पर मापता हूँ कि उस समाज में नारी ने किस सीमा तक प्रगति की है।''

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

डॉ. आम्बेडकर नारी संगठन के बहुत हिमायती थे। उनका विश्वास था कि यदि एक बार नारी की समझ में आ जाये और यह निश्चय कर ले तो समाज की बुराइयों को दूर करने और समाज को सुधारने में वह बहुत कार्य कर सकती है। इसलिये दलितों की मुक्ति के लिये काम आरंभ करने के समय से ही आम्बेडकर (1979:193) स्त्रियों को पुरूषों के साथ ले कर चले।

वास्तव में डॉ. आम्बेडकर अपने गुरू बुद्ध की भाँति जीवन में स्वतंत्रता एवं समानता को बहुत महत्व देते थे। स्वतंत्रता एवं समानता उनके जीवन के न केवल कोरे सिद्धांत थे बल्कि व्यवहार के नियम भी थे। इसलिये जैसा ऊपर कहा गया है कि उन्होंने दलितोत्थान संबंधी अपने संघर्ष में पुरूषों के साथ स्त्रियों का भी आह्वान किया।

मार्च 19–20, 1927 को महाद के चौबदार ताल सत्याग्रह में भाग लेने हेतु डॉ. आम्बेडकर ने पुरूषों के साथ दलित महिलाओं का भी आह्वान किया। उनका कहना था कि ''तुम्हारी कोख में जन्म लेना आज पाप समझा जाता है। तुम हमारी माँ और बहनें हो, हमें अगर हीन समझा जाता है तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। समाज में तुम्हें जो कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, उन्हें तुम स्वयं भी अच्छी तरह जानती हो, अतः तुम्हे स्पष्टतः यह तय करना है कि इस सत्याग्रह में भाग लेना है अथवा नहीं, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिल सकता'' (बी. आर. आम्बेडकर संद. रावत, 1989:74)।

महाद सत्याग्रह की भाँति डॉ. आम्बेडकर के आह्वान पर नासिक के कालाराम मंदिर तथा पूना, कानपुर, लखनऊ एवं मद्रास आदि स्थानों पर हिंदू मंदिरों में प्रवेश हेतु आंदोलनों में पुरूषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़–चढ़ कर भाग लिया। भूमिहीन कृषकों में कृषि योग्य भूमि आवंटित किये जाने हेतु डॉ. आम्बेडकर द्वारा संचालित आंदोलनों में भी दलित महिलाओं ने पुरूषों के साथ भारी संख्या में भाग लिया। इन आंदोलनों में भाग लेने वाली महिलाओं में शांता बाई दाणी, गीता बाई गायकवाड़ तथा श्रीमती मनोबल शिवराज के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं (रावत, 1989:74)।

दलित महिलाओं को संबोधित करते हुये डॉ. आम्बेडकर ने कहा कि आप स्वच्छता से रहना सीखें। सभी प्रकार के दुराचारों से दूर रहें। आपको अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिये और उनके मस्तिष्क में यह बैठाना चाहिये कि उन्हें महान बनना है। आपको चाहिये कि आप अपने बच्चों के दिमाग से सभी प्रकार के हीन भावों को दूर करें। संक्षेप में डॉ. आम्बेडकर का सोचना था कि दलित समाज की उन्नति के लिये महिलाओं को भी पुरूषों के समान आगे आना चाहिये। दलित महिलाओं को चाहिये कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। पति हो या भाई अथवा बेटा यदि शराब पीता है तो उसे शराब न पीने दें। स्त्रियों को भी पुरूषों की भाँति शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये (रावत, 1989:74)।

20 जुलाई 1942 को अखिल भारतीय दलित महिला अधिवेशन को संबोधित करते हुये डॉ. आम्बेडकर ने दलित महिलाओं को सलाह दी कि वे विवाह की जल्दी में न पड़े। विवाह एक दायित्व (लाइबिलिटी) है। अपने बच्चों पर विवाह तब तक न थोपें जब तक वे विवाह संबंधी आर्थिक जिम्मेदारियों को वहन करने में समर्थ न हो जायें। जो विवाह करें वे यह ध्यान रखें कि अधिक संतान पैदा करना एक अपराध है। माता–पिता का दायित्व यह है कि वे अपनी संतान को अपने से अच्छा आरंभ दें। इस सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की शादी करती है वह अपने पति के समकक्ष खड़ी हो। उससे मित्रता और समानता का दावा करे। उसकी दासी बनने से साफ इंकार कर दे। उनका विश्वास था कि यदि दलित महिलायें ऐसा करती हैं तो इससे न केवल उनका वरन् पूरे दलित समाज का सम्मान बढ़ेगा (आम्बेडकर, 1979:193–94)। सभा में बीस हजार महिलाओं की उपस्थिति को लक्ष्य करते हुये आम्बेडकर ने कहा कि स्त्रियाँ किसी भी समाज की प्रगति का दर्पण होती हैं। आज मैं अपने समाज के प्रगति के पथ पर अग्रसर होते देखकर सुख का अनुभव कर रहा हूँ (बी. आर. आम्बेडकर संद. रावत, 1989:75)।

डॉ. आम्बेडकर महिलाओं में वैश्यावृत्ति को बहुत बुरा मानते थे, किन्तु वैश्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। तात्पर्य यह है कि गाँधी की भाँति आम्बेडकर भी व्यक्ति से नहीं वरन् उसकी बुराई से घृणा करते थे। 16 जून 1936 को बम्बई में दलित वैश्याओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ''यदि आप हम सबके साथ रहना चाहती हैं तो अपनी जीवन पद्धति को बदलें। आप विवाह कर समाज की अन्य महिलाओं की भाँति सम्मानपूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। वैश्यावृत्ति के घृणास्पद जीवन के अलावा आजीविका कमाने के समाज में सैकड़ों तरीके हैं। जब तक आप वैश्यावृत्ति के घृणास्पद जीवन का परित्याग नहीं करती तब तक समाज में आपको उचित सम्मान प्राप्त नहीं हो सकेगा'' (आम्बेडकर, 1979)।

नारी संबंधी सामाजिक विधान

पूर्व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नारी के पतन से समाज का पतन होता है और नारी की उन्नति से समाज की उन्नति होती है। भारत में जब नारी की स्थिति उन्नत थी भारतीय समाज भी उन्नति के शिखर पर था, किन्तु जब नारी आत्मोन्नति व आत्मविश्वास के अवसर से वंचित हो घर की चाहर दीवारी में कैद हो गई तो भारतीय समाज भी अंधकार के गर्त में डूब गया।

रूढ़िग्रस्त जर्जर भारतीय समाज को सुधारने के लिये सर्वप्रथम नारी की दशा को सुधारना आवश्यक था। इसलिये राजा राममोहन राय, हरविलास शारदा, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि ने भारतीय नारी की दिशा में सुधार हेतु सती प्रथा निषेध, बाल विवाह निषेध एवं विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु कार्य किया। स्वतंत्रोपरान्त नारी को परंपरात्मक निर्योग्यताओं से मुक्त करने एवं उन्हें पुरूषों के बराबर कानूनी अधिकार दिलाने में डॉ. आम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

परंपरात्मक भारतीय समाज में नारी अनेक निर्योग्यताओं से ग्रस्त थी। उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वह वयस्क होते हुये भी अपनी इच्छानुसार अपनी जाति या सम्प्रदाय से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती थी। पुरूष तो एक से अधिक विवाह कर सकता था। वह अपनी पत्नी अथवा पत्नियों को त्याग भी सकता था। उन पर अत्याचार कर सकता था, किन्तु पत्नी अपने पति को त्याग नहीं सकती थी और न पुनर्विवाह कर सकती थी। कोई स्त्री न तो किसी की दत्तक संतान बन सकती थी और न ही किसी को गोद ले सकती थी। स्त्री को अपने पिता, पति अथवा पुत्र की सम्पत्ति पर कोई अधिकार भी नहीं था। तात्पर्य यह है कि नारी समाज में पूर्णतया असहाय और अबला थी।

समाज में नारी पुरूष के समान स्वतंत्र एवं अधिकार सम्पन्न हो इसके लिये आम्बेडकर ने अविस्मरणीय कार्य किया। उनके नेतृत्व में बने संविधान में लिंग के आधार पर पुरूष और स्त्री के बीच सामाजिक भेदों को समाप्त किया गया। संविधान ने स्त्री व पुरूष में कोई भेद न मानते हुए दोनों को समान दर्जा प्रदान किया। (अनुच्छेद 14–16)। संविधान के माध्यम से बच्चों व स्त्रियों की बिक्री तथा उनसे बेगार लेने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। (रावत 1969:73) संविधान द्वारा नारी को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार प्रदान किये जाने से सिद्धांततः नारी की सामाजिक स्थिति में सुधार तो अवश्य आया किन्तु स्वतंत्रता एवं समानता की संवैधानिक प्रत्याभूति मात्र से सदियों से उपेक्षित नारी को परम्परात्मक दासता से मुक्ति मिल जायेगी, आम्बेडकर को इस पर संदेह था। उनका सोचना था कि विवाह और सम्पत्ति पर अधिकार सम्बंधी प्रचलित कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये बिना नारी की मुक्ति संभव नहीं है। अपने इस विश्वास को मूर्त रूप देने की दृष्टि से उन्होंने एक व्यापक सामाजिक विधान की रूपरेखा निर्मित की, जिसे हिन्दू कोड बिल के नाम से जाना जाता है।

हिन्दू कोड बिल में कन्या के विवाह की निर्धारित तत्कालिन न्यूनतम आयु में वृद्धि, एक विवाह का अनिवार्य किया जाना, अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता, स्त्रियों को पुरूषों के समान तलाक का अधिकार, तलाकशुदा स्त्री को अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता, स्त्री को पुत्री, पत्नी एवं माँ के रूप में पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार, स्त्री को गोद लिये जाने एवं गोद लेने के अधिकार आदि का प्रावधान था।

कानून मंत्री के रूप में हिन्दू कोड बिल को डॉ. आम्बेडकर ने संसद के सम्मुख सर्वप्रथम 5 फरवरी 1951 को प्रस्तुत किया, किन्तु बिल पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। बिल का औचित्य दर्शाते हुये डॉ. आम्बेडकर (संद. जाटव, 1988:186) ने संसद में कहा कि ''यदि आप हिन्दू व्यवस्था, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा चाहते हैं तो इनमें जो दोष पैदा हो गये हैं उनको सुधारने में आपको तनिक भी झिझक नहीं होनी चाहिये। हिन्दू कोड बिल हिन्दू व्यवस्था में केवल उन्हीं अंशों में सुधार चाहता है जो विकृत हो गये हैं। उनमें अधिक कुछ नहीं। अतः आप इसका समर्थन अवश्य करें।''

संसद में कांग्रेस दल भारी बहुमत में था। कांग्रेसी एवं विपक्षी सांसदों सहित आम जनता में बिल को लेकर अत्यधिक विवाद पैदा हो गया। परंपरावादी विचारधारा के लोग बिल का विरोध कर रहे थे, जबकि प्रगतिशील इसका समर्थन। बिल पर सांसदों में मतभेद को देखते हुये कांग्रेस दल ने अपने सांसदों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की कि वे अपनी इच्छानुसार बिल पर मतदान करें। 17 सितम्बर 1951 को बिल संसद में पुनः प्रस्तुत किया गया।

बिल के पक्ष में डॉ. आम्बेडकर जो उस समय कानून मंत्री थे, ने एक बयान जारी किया। इनका कहना था कि ''हिन्दू कोड बिल इस देश में विधानसभा द्वारा हाथ में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधार है। कोई भी कानून जो इस देश में पारित हुआ अथवा जो संभवतः पारित होगा, महत्व की दृष्टि से, हिन्दू कोड बिल की तुलना में कहीं नहीं ठहराता। वर्ग–वर्ग, लिंग–लिग के बीच असमानता की उपेक्षा करके, जो हिन्दू समाज का मूलाधार है, आर्थिक समस्याओं के संबंध में कानून बनाया जाना हमारे संविधान का उपहास और गोबर के ढेर पर महल बनाये जाने के समान है। हिन्दू कोड बिल का इतना महत्व है जिसे मैं उसके साथ जोड़ता हूँ। इसी बिल के खातिर मतभेद होते हुये भी मैं मंत्रिमण्डल में बना रहा। अतएव यदि मैंने कोई गलती की है तो इस आशा से कि कोई शुभ परिणाम निकले।''

संसद और संसद के बाहर रूढ़िवादी तत्वों के विरोध के कारण हिन्दू कोड बिल मूल रूप से पारित नहीं हो सका, उसे स्थगित करना पड़ा। हिन्दू कोड बिल के प्रति तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू एवं कांग्रेसियों के उदासीन एवं नकारात्मक रूख तथा कतिपय अन्य नीतिगत विषयों पर असहमति के कारण डॉ. आम्बेडकर ने 27 सितम्बर 1951 को कानून मंत्री के पद से नेहरू मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया। आगे चलकर अलग–अलग अधिनियमों के रूप में हिन्दू कोड बिल संसद में पारित कर दिया गया। जिससे हिन्दू (बौद्ध, जैन, सिख सहित) नारी की द्रुत सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में हिन्दू नारी की विमुक्ति में डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर का यह योगदान चिरस्मरणीय रहेगा।

साभार :
डॉ. आंबेडकर
सामाजिक–आर्थिक विचार दर्शन
पेज संख्या 143 से 150 तक
डॉ. बालकृष्ण पंजाबी

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

कुछ बोझिल आस्थायें

इस अध्याय में कुछ ऐसी आस्थायें और विश्वासों का वर्णन किया जायेगा जो समाज में त्यौहारों के अतिरिक्त प्रचलित हैं और समय–समय पर हिन्दू उन्हें करते हैं। ये ऐसी लोक आस्थायें और विश्वास हैं यदि इन्हीं का वर्णन किया जाये तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन सकता है, परन्तु यहाँ कुछ प्रमुख–प्रमुख परम्पराओं पर ही विचार करेंगे। यह ऐसी परम्परायें हैं जो किसी परिस्थिति विशेष में ही बनाई जाती हैं। वास्तविक वह है कि ये परम्परायें त्यौहारों के श्रजन से पहले से चली आ रही हैं। प्रकृति के अंग सूर्य, चन्द्र, जल, वायु, पृथ्वी, वृक्ष, पशु, नदी, कीड़े आदि में जब कोई हलचल और परिवर्तन हुआ उस समय मनुष्य ने उसे कौतूहल से देखा। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने इस कौतूहल की स्थिति पर तुरन्त लाभ उठाकर इसे शक्ति का रूप और देव कृत्य कहकर त्यौहार के रूप में मनाने की परम्परा स्थापित कर दी। इन परम्पराओं में मानव को फंसाकर पुरोहित वर्ग ने उसे अनेक प्रकार के आर्थिक और बौद्धिक बोझ से लाद दिया। यह परम्परायें आज भी लोक जीवन में प्रचलित हैं जिनके अनावश्यक व्यय और आडम्बर से वह दबा जा रहा है और ब्राह्मण पुरोहित के व्यवसाय का अंग बन गया है जिससे जो उसकी आय का साधन है ऐसी कुछ परम्पराओं का वर्णन नीचे किया जा रहा है।

गंगा मैया तोहि पियरी चढ़ैवौ

गंगा को पवित्र और पापमोचनी नदी मानते हैं। कृषक अपनी रक्षा के लिए लोकदेवी की पूजा करती हैं। मीठा पाढी पियरी, पूडी, चूना, गुण, चावल पूजा में चढ़ाया जाता है। बच्चों का मुंडन गंगा पर कराते और गंगा की पूजा करते हैं। किसान अन्न की रास उठाता है तो गंगा के नाम का हिस्सा भी अलग निकालता है जैसे ब्राह्मण पुरोहित का हिस्सा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जो गल्ले का भाग निकालते हैं उसे मल्लाह को देते हैं। कभी–कभी किसान उससे प्रसाद खरीद कर चढ़ाते हैं। यह प्रथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह अन्धविश्वास है और ब्राह्मणों के स्वार्थ का त्योहार है।

बादल

कारे मेघा पानी दे

प्रायः जब सूखा पड़ता और अनावृष्टि और अनावृष्टि का भय व्याप्त हो जाता है तो किसान वर्षा कराने के अनेक अन्ध विश्वास पूर्ण लोकाचार करते हैं ताकि पानी की वर्षा हो जाय। यह लोकाचार स्त्रियाँ और बच्चे करते हैं। बच्चे गाँव में टोली बनाकर गीत गाते निकलते हैं ''कारे मेघा पानी दे–पानी दे, गुरधानी दे'' जमीन पर धूल में लेट लेट जाते हैं तो स्त्रियाँ उन पर पानी डालकर स्वागत करती हैं और आटा देतीं हैं। आटा लेकर ऊपर में वाटी बनाते हैं और वाटी पानी में तैरा देतें हैं। रात में स्त्रियाँ नंगी हल चलाती हैं। बैलों की जगह स्वयं हल खींचती हैं और एक नंगी स्त्री हल जोतती है पुरूष लोग पानी लेकर जाते हैं तो पुरूष को पकड़ने दौड़ती है। ये स्त्रियाँ इतवार के दिन कुएं में मूसल डालती हैं। यह लोक विश्वास अन्ध विश्वास के साथ अश्लीलता और अनाचार का जनक है। नंगी स्त्रियों के बीच पुरूषों का जाना पापाचार का प्रतीक है। विज्ञान के अनुसार बादलों से पानी बरसता है। नंगे होकर बादल पैदा करना पाखण्ड है ऐसा कभी नहीं हो सकता पर पाखण्डी ब्राह्मण ने अन्ध विश्वास फैलाने की गरज से यह लोकाचार बना दिया।

बदरा फट–फट

जिस प्रकार अनावृष्टि पर बच्चे और स्त्रियाँ लोकाचार करती हैं उसी प्रकार अति वृष्टि पर उसे रोकने के लिए स्त्रियाँ लोकाचार करती हैं। स्त्रियाँ विशेषकर अविवाहित नंगी होकर दीपक दिखाती हैं और औलाती का पानी मिट्टी के कोरवा में रोकती हैं उसका मुँह बन्द करके औलाती के नीचे गाड़ देती हैं पंडित और पंडिताइन का पुतला बनाकर उल्टा लटका देते हैं स्त्रियाँ ओखल में उड़द डालकर उल्टे मूसल से कूटती हैं लोक विश्वास फैलाया गया कि इससे बादल फट जाएगा और पानी रूक जायगा। उड़द ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं। यह लोकाचार अन्ध विश्वास पाखण्ड फैलाने और ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं। यह लोकाचार अन्ध विश्वास पाखण्ड फैलाने और ब्राह्मण पेटपूजा करने के उद्देश्य से फैलाया गया है। हिन्दू की स्त्री के अंग में इतनी शक्ति है कि उसे नंगा देखकर बादल भी घबरा कर भाग जाता है। और उसमें इतनी मोहकता है कि नंगी हिन्दू स्त्री देखकर बादल भी खिंचा चला आता है और टपकने लगता है। ब्राह्मणों ने कैसी पोपलीला फैलाई है। क्या बादल भी दिल दिमाग वाला है।

पृथ्वी

भुइया देवी

उत्तर भारत का किसान भू देवी (पृथ्वी माता) की पूजा करता है यह असाढ़ या क्वार में होती है। यह फसल अच्छी करने के इरादे से होती है। पंडो ने किसानों को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से यह पूजा प्रचलित कराई। यह असाढ़–क्वार महीनों के दिन सोमवार या शुक्र के दिन पूजा होती है। दिन में गाँव के बाहर बाग–बगीचे में घर का एक व्यक्ति रोटी करता है। दूसरे दिन खेत की भेड़ पर गाँव के बाहर पूजा होती है। पूजा स्थल पर लाल कपड़े का पताका, खटोला, लकड़ी का रथ, मिट्टी का कलश, हाथी घोड़ा चढ़ाते हैं। पूड़ी, मिठाई, दाल, चावल, भी चढ़ाते हैं भगत लोग देवी खेलते हैं। पूड़ी, दाल, चावल, मिठाई ब्राह्मण को दे देते हैं पर शूद्रों की पूड़ी ब्राह्मण नहीं लेता है। भगत लोग देवी खेलते हैं तो गाँजा, शराब चढ़ाई जाती है। लोग पृथ्वी को देवी मानकर पूजते हैं। पृथ्वी को धरती मइया भी कहते हैं। खटोला, रथ, कलश, हाथी, घोड़ा ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं। यह लोकाचार अन्ध विश्वास और पाखण्ड का जनक है और ब्राह्मण स्वार्थ का घोतक है। ब्राह्मण ने अन्ध विश्वास अपनी पेटपूजा और झोली भरने की खातिर इस लोकाचार की रचना की। पृथ्वी माता देवी है तो देवी पर मल मूत्र त्यागता है मुर्दे गाड़ कर सड़ाता है। यह कैसी देवी है। सारे अश्लील एवं बुरे कर्म देवी के ऊपर के ऊपर ही बैठकर करता है।

वृक्ष

वृक्ष पूजन

यह आस्था प्रचलित है कि पेड़ों पर देवी देवता रहते हैं। कहते हैं कि नीम और महुआ के पेड़ पर देवी का वास होता है। इसलिए नीम और महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। जब कभी आम का बाग लगवाते हैं तो इस आम के बाग की शादी होती है जब पहला फल लगता है। इस अवसर पर आम की लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती है और बाग में गाड़ दी जाती है। इस मूर्ति को देव कहते हैं। इस मूर्ति के दोनों हाथ ऊपर को उठे होते हैं जो बाग को खूब फलने फूलने का प्रतीक होते हैं। यह विवाह ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है बाग लगाने वाला देवी की पूजा के साथ साथ ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है बाग लगाने वाला देवी की पूजा के साथ–साथ ब्राह्मणों को भी दान पूजा कराता है। ब्राह्मण ने यह लोकाचार अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्रचलित किया है। देवी को महल में कहीं स्थान नहीं मिला जो उसकी देवी पेड़ पर रहती है क्या देवी बिल्ली है जो आदमियों और हिंसक जंगली जानवरों के भय से पेड़ों पर रहती है। इतनी डरपोक देवी क्या कल्याण करेगी।

गाँव

गाँव देवता या लोक देवता

हर गाँव का एक देवता होता है, जिसका स्थान गाँव के बाहर होता है भादों शुक्ल पक्ष के चौथे दिन यहाँ पूजा होती है। गाँव देवता पर धूप अनाज चढ़ाकर भगत गाते ढाक बजाते हैं। अगर सछूत है तो सवा सेर आटा की पूड़ी, नारियल, खीर आदि से पूजन करते हैं और वहीं पर ब्राह्मण को खिलाते और स्वयं खाते हैं। मिट्टी का घड़ा चढ़ाते हैं। गाँव देवता की भाँति गाय बैल की रक्षा हेतु मैकासुर देवता की भी पूजा होती है। यह मैकासुर में रहता है इसलिए मिट्टी की भी पूजा होती है। यह भाद्र मास के आखिरी सोमवार को होती है। देखा! हिन्दू पेड़, पृथ्वी, बादल ही नहीं साँप बीछी को पूजता है पर अछूत आदमी को मारता है। यह ब्राह्मण स्वार्थ का लोकाचार है जो अंध विश्वास और पाखण्ड का प्रतीक है। अनाज का ढेर, सवासेर आटे की पूड़ी देवी का भगत ऐंठ जाता है। यह गरीब ग्रामीण पर अनावाश्यक बोझ पड़ता है।

सूर्य

सूर्य देवता की पूजा

एक बांस की डलिया में चना, चावल, नई मूली, कन्द, फल, फूल, मेवा, पूड़ी पकवान रखते हैं। 6 गन्नों से मनुष्य की आकृति बनाई जाती है एक मिट्टी की कढ़ाई होती है जिसमें 6 दीपक जलाए जाते हैं और पूजा का सामान रखकर इसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। यह पुत्र प्राप्ति हेतु वृत किया जाता है। फल, फूल, मेवा, पकवान ब्राह्मणों को दान में दे देते हैं। यह अंध विश्वास पाखण्ड का जनक और ब्राह्मण की पेट पूजा का प्रतीक है। क्या ब्राह्मण को खिलाने और मिट्टी की कढ़ाई में दीपक जलाने से बच्चा हो जायेगा। यह कैसा पागलपन है।

जल

जल देवता का विवाह

भारत के लोग अधिकतर कुएं या तालाब में पानी पीते हैं। इसलिए कुंए या तालाब की पूजा करते हैं। जब कुंआ या तालाब खुदवाते हैं तो इसकी पूजा करते हैं। पूजा के लिए लिंग बाबा की एक आम की लकड़ी की नग्न मूर्ति बनाई जाती है। जल को देवी मानकर नयन देवी के नाम से जलदेवी की पूजा करते हैं। जल की देवी नयनदेवी का विवाह लिंग बाबा के साथ किया जाता है। विवाह की पूरी रस्म अदा की जाती है पूजा के बाद लिंग बाबा की मूर्ति कुंए के पास गाड़ दी जाती है उसे जनेऊ पहनाया जाता है। पूजा करने के बाद ही उस कुंए का पानी पिया जाता है और बिना पूजा के कुआ अविवाहित माना जाता है। इस परम्परा के अनुसार ही मनुष्य विवाह पर वर वधू द्वारा कुंआ पूजने की प्रथा प्रचलित हुई है। लिंग बाबा का लिंग खुला और हाथ नीचे को बनाए जाते हैं यह इस बात को आगाह करते हैं कि पानी अधिक गहरा हो और वर वधू लिंग क्रिया का प्रयोग तब तक न करे जब तक लिंग बाबा की पूजा न हो। इस प्रकार यह परम्परा अश्लीलता पाखण्ड और अन्ध विश्वास का प्रतीक है। जनेऊ की परम्परा से कुंआ को द्विज मानकर पूजा कराई जाती है। ब्राह्मण को व्यवस्था ने प्रकृति की वस्तुओं जानवरों–पशु पक्षियों तक में भी वर्ण व्यवस्था और जाति भेद पैदा कर दिया गया है। कुंआ की पूजा ब्राह्मण पूजा का प्रतीक है। यह प्रथा अन्ध विश्वास और मूर्खता की निशानी है।

आँधी

आँधी की पूजा

आँधी आने की सम्भावना का पता लगने पर लोग तुरन्त आँधी पूजा के लिए निकल जाते हैं ताकि आँधी लौट जाय और उधर न आवे। हिन्दुओं में ऐसा अन्ध विश्वास है कि आँधी की पूजा करने से आँधी प्रसन्न होकर लौट जायगी और इधर नहीं आयेगी। पूजा करने की विधि यह है कि जैसे ही आंधी का आभास हुआ और धूल भरी आंधी दिखाई दी तो वैसे ही जोर–जोर से ढपली पीटते हैं और स्त्रियाँ आँधी को छलनी दिखाती हैं। हिन्दू स्त्रियाँ नग्न होकर आटा उड़ाती हैं ताकि आँधी लौट जाए।

यह आस्था झूठी, एवं पाखण्ड पूर्ण है। अश्लीलता की निशानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब–जब हिन्दुओं को खुले में औरतों को नंगा देखने की हुड़क हुई तो उसे पूरा करने के लिए उसने स्त्रियों को नंगा देखने की परम्परायें डाल दी। आँधी या पानी में आदमी को फुरसत होती है ऐसे समय में कोई काम होता नहीं है तो वासना जागृत होती है। उसे तृप्त करने के लिए हिन्दू स्त्रियों को नंगा करते हैं और आनन्द लेते हैं।

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

फसल

फसल की पूजा

इसे हरवत करना भी कहते हैं। यह चैत लगते ही बुवाई के लिए शुभ महूर्त है जिससे फसल अच्छी हो। इसमें एक टोकरी खाद लेकर खेत में जाते हैं पूर्व को मुँह करके हल के फाल या कुदाल से सात या पाँच बार खोदते हैं। उसमें बीज मिलाते हैं और फिर पानी से सींचते हैं और हरियर–हरियर महादेव चिल्लाते हैं। बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे देते हैं। यह आस्था अन्ध विश्वास, पाखण्ड और ब्राह्मण भक्ती का प्रतीक हैं। महादेव की पूजा भी स्मृति का प्रतीक है।

अन्न

अन्न देवता की पूजा

यह नवान्न कहलाता है। जब नया अन्न पैदा होता है तो खाने की यह एक प्रथा है। यह रवी और खरीफ दो फसलों के नये अन्न पैदा होने पर की जाती है। इस अवसर पर रात में किसी शूद्र के खेत में से बाली तोड़ी जाती है। आँगन को गोबर से लीपकर सूप में वाली रखते हैं। आँगन में अन्न देवता के नाम से होम किया जाता है। गुड़, घी मिलाकर उस लाए हुए वाली के दानों को 5 बार मुँह में डालेगा और परिवार वालों को भी खिलायेगा। ब्राह्मण को बचा वाला अन्न दान कर देगा और होम के बाद बचा गुड़ घी भी ब्राह्मण के निमित्त कर देगा। यह प्रथा शूद्र के खेत उजाड़ने या शूद्र का खेत अपना समझने की भावना से प्रचलित की गई है। मनुस्मृति में लिखा भी गया है कि शूद्र का धन ब्राह्मण का धन होता है शूद्र का अपना कुछ नहीं है। इसलिए शूद्र के खेत से बालियाँ साधिकार कपट ली जाती हैं और ब्राह्मण झोली भरकर घर ले जाता है। वह प्रथा अन्ध विश्वास का प्रतीक होने के साथ–साथ शूद्र दमन और ब्राह्मण पूजा का सूचक है इसमें ब्राह्मण का नया अन्न खाने का स्वार्थ निहित है।

पशु

महामारी

जब कभी पशुओं की महामारी फैलती है और एक–एक करके पशु मरने लगते हैं तो इसे देवी प्रकोप समझते हैं और देवी पूजा करते हैं। देवी को शान्त करने के लिए जानवरों पर गेरू छिड़कते हैं जानवरों की खुरपका की बीमारी के समय जब कीड़े पड़ जाते हैं तो बजाय डाक्टरों के इलाज के देवी की पूजा करते हैं। इस पूजा में सात लकड़ी बेचने वालों का नाम लिखकर तावीज बनाते हैं और उसे पशु के गले में बाँधते हैं जिससे कीड़े मर जायें। यह प्रथा ब्राह्मणों और भगतों द्वारा चलाई गई है इससे भक्तों के दो उद्देश्य हल होते हैं, एक तो यह है कि अन्ध विश्वास में गुमराह कर किसान को डाक्टरी इलाज से रोकना ताकि उसका पशु मर जाय, वह गरीब हो जाय और उनके कब्जे के जाल में फंसा रहे और बनिया बनता रहे। दूसरे भक्तों की मान्यता होती रहे तथा उनका पेट पालन होता रहे और गन्डा तावीज का धन्धा चलता रहे।

पशु रक्षा

पशु रक्षा के उद्देश्य से ग्राम देवता की पूजा की भी प्रथा प्रचलित है। पशुओं की रक्षा के लिए बकरे की बलि दी जाती है। ग्राम देवी की पूजा में पकवान भी बनाए जाते हैं। यह कुरहाने की पूजा बोली जाती है जिसमें परिवार के देवताओं की पूजा होती है। हिन्दू काशीनाथ वीर कुंवर पांचवीर की पूजा करते हैं और शूद्र लोग राजा बलि की पूजा करते हैं। ये पूजा बाढी आदि से करते हैं। यह अन्धविश्वास और पाखण्ड पूर्ण प्रथा है। हिन्दुओं ने बकरे का मांस खाने और जिव्हा का स्वाद पूरा करने के उद्देश्य से यह प्रथा प्रचलित की है। यह प्रथा जाति प्रथा को मजबूत करने का भी प्रतीक है। अलग–अलग जातियों के अलग–अलग कुरहाने के देवता हैं। इस अवसर पर भगत का गाय के दूध व गंगा जल से अभिषेक किया जाता है इस प्रकार भगत की पूजा के साथ गंगा और गौ की महत्ता और पूज्यता बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रथा पर गौ दूध व गंगा जल से अभिषेक का विधि विधान बनाया गया है।

बैसाखी पर्व

यह जौनसार बाबर के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण उत्सव है। इस दिन सब देव स्थानों पर बकरे की बलि दी जाती है। पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं। लकड़ी, मिट्टी, पत्थर के पशु, पक्षी, घोड़ा आदि चढ़ाए जाते हैं। बकरे का सिर मन्दिर में गाड़ दिया जाता है। गरीब जातियों के लोग इस पर्व को सत्तुओं से मनाते हैं और नये जौ का सत्तू आम, गुड़, घी ब्राह्मणों को दान करते हैं। इसी दिन से आम खाना प्रारम्भ करते हैं। यह हिन्दू देवी देवताओं की बलि प्रथा का प्रतीक है जिससे सवर्ण हिन्दू बलि देकर मांस खाने की अपनी इच्छा तृप्त करते हैं। अंधविश्वास का लाभ उठाकर लकड़ी, मिट्टी, पत्थर की मूर्तियों के व्यपारी वैश्य वर्ग के लोग अपना खूब धंधा करते हैं और लाखों की संख्या में मूर्ति बेचकर धर्म के नाम पर 20–20 गुने दाम वसूल कर अपनी तिजोरी भरते हैं। इस दिन जौनसार में स्त्री पुरूष मेले लगाते हैं और खूब नशे में नाचते गाते है। यह भ्रष्टाचार का पर्व है।

मिट्टी का हाथी

क्वार के महीने में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। मिट्टी का हाथी बनाया जाता है और लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी भी मिट्टी की बनी है। लक्ष्मी को बेसन का जेवर पहनाया जाता है। काली चूड़ी वेशन या आटे को गुड़ में मिलाकर गोल सोरा बनाती है दूब और अनाज हाथी पर चढ़ाये जाते हैं। यह बनियों के लाभ के लिए प्रथा प्रचलित की गई है। चूड़ी, वेशन, गुड़ बेचने वाले बनियों की खूब क्रीकी होती है। 16 आटे की दीप चढ़ाए जातें हैं और सिन्दूर भी चढ़ाते हैं। यह अंधविश्वास पाखण्ड ब्राह्मण पूजा और वैश्य वर्ण हित का प्रतीक है।

देव उठानी

इस दिन गोबर से आंगन को लीपकर औरतें अल्पना बनाती हैं। अल्पना में 5 रेखायें द्वार तक बनाई जाती है। यह विश्वास है कि इन रेखाओं के बीच से होकर देवता आते हैं। हर रेखा के बीच देवताओं के खाने के लिए गन्ना, मूली, सिंघाड़ा, कन्द, तरकारी, फल एवं नई फसल की हर पैदावार रखे जाते हैं। धूप दीप से पूजा की जाती है। गन्ना, मूली, सिंघाड़ा, कन्द, फल, तरकारी सब ब्राह्मणों के घर पहुँचाया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह परम्परा शूद्रों पर बोझ है। उन्हें या उल्लू बनाते हैं और हिन्दू देवताओं की बदमासी देखिए कि वे तभी प्रसन्न होते हैं कि पहले तो गन्ना, मूली सिंघाड़ा फल बनियों से खरीदिए उनका घर बनाइए फिर उन्हें ब्राह्मण के घर पहुँचा दीजिए यह हिन्दुओं के देवता, बनिया और ब्राह्मण तीनों की मिली भगत है और समाज के लूट की यह उनकी योजना है।

घुवापटक

इस प्रथा के अनुसार स्त्रियाँ चार बजे सुबह सूप पीटकर दरिद्रता घर से निकालती हैं। सुबह उठकर सूप पीटती हुई कहती हैं ''निकल दरिद्र मेरे घर में से'' और सूप को घूरे पर पटक कर उठा लाती हैं। आंगन में पेड़ पूजन करती हैं। सुहाग की सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। ब्राह्मणों को गन्ने का रस पिलाया जाता है और सूप भरकर अनाज दान में दिया जाता है। इसी दिन से नई वस्तुओं का खाना आरम्भ करते हैं। अर्थात् नई फसल को वस्तुओं को तब खाया जाता है जब ब्राह्मणों को पहले खिलाते हैं। यह ब्राह्मण के स्वार्थ, पूजा और पेट पालन का उत्सव है। यह ब्राह्मण वर्ग की चाल है। यह जनता को अंधविश्वास में डुबाए रखकर खूब माल ऐठता है और अपना उल्लू सीधा करता है।

साभार : डॉ. आंबेडकर
हिन्दुओं के वृत, पर्व और त्यौहार
पेज संख्या 142 से 149 तक
एस. एल. सागर

आज समाज की अपेक्षाएँ आपसे बहुत हैं

हमारे प्रतिनिधि द्वारा

3 मार्च, 1981 को बामसेफ यूनिट लखनऊ के कार्यालय का उद्घाटन बामसेफ के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी के करकमलों द्वारा हुआ। उद्घाटन समारोह में विभिन्न विभागो के कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिको ने भाग लिया। जन–समूह इतना अधिक था कि जैसे ही मा. कांशीराम जी ने फीता काटकर उद्घाटन की प्रक्रिया पूर्ण की और कार्यालय में प्रवेश किया, 'बामसेफ–जिंदाबाद', बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर अमर हैं के नारो से वातावरण गुंजायमान हो गया। लोगों के मन प्रफुल्लित थे व चेहरो पर चमक थी, जो लखनऊ के कार्यकताओं के उत्तरोत्तर आगे बढ़ने दृढ़ संकल्प की इंगित कर रही थी।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर आम सभा की अध्यक्षता मा. मूलचन्द्र जी कर रहे थे। सभा का संचालन बामसेफ लखनऊ यूनिट के संयोजक मा. राज बहादुर ने किया। कार्यक्रम का प्रारम्भ बामसेफ के सचिव कार्यकर्ता मा. एस. एन. प्रसाद की एक ओजपूर्ण कविता से हुआ, तदुपरान्त मा. शिवदयाल द्वारा 'भीम वंदना' की गई और मा. माता प्रासाद कुरील द्वारा एक 'भीम गीत' पेश किया

गया। बाबा साहेब अम्बेडकर मिशन विद्यालय द्वारा भीम गीत पेश किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर मिशन विद्यालय, भीमनगर (लखनऊ) की बच्चियों–कु. मंजु, कु. लता, कु. शशि व कु. सावित्री ने बहुत ही रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, जिसकी प्रशंसा उपस्थित जन–समूह ने की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मा. कांशीराम जी ने अपने भाषण के दौरान लखनऊ के लोगों को कार्यालय खोलने की बधाई दी। उन्होंने बामसेफ के द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद के प्रगति की तुलना पिछले तीन सालों में उत्तर प्रदेश में केवल तीन जिलों मे ही यूनिट बन पाई थी, जबकि अधिवेशन के बाद तीन महीने में 13 यूनिट स्थापित हो चुकी हैं। मतलब यह है कि बामसेफ अब अपने निर्धारित गति से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इस साल के अन्त तक देश के हर जिलें में इसकी शाखाएं स्थापित हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यालय खुल जाने पर लखनऊ यूनिट की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लखनऊ देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है। इस प्रकार कुछ समय बाद यहाँ सबसे बड़ा भवन कार्यालय के लिए खोलना पड़ेगा और अन्य बड़े कार्यलयों की तरह यहाँ का कार्यालय भी 24 घंटे खुला रहेगा। इस प्रकार आने वाले समय में लखनऊ के लोगों को अधिक से अधिक जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

मा. कांशीराम जी ने चेतावनी दी बामसेफ के लोगों को समाज के लिए कुछ भी करना है, वह सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की चारदीवारी के अन्दर रहकर ही करना है। इससे बाहर जाने पर समस्याएं सुलझने के बजाए और अधिक खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज समाज की अपेक्षाएं आपसे बहुत हैं।

इसके बाद मा. शिव दयाल सिंह चौरसिया भूतपूर्व सांसद व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के समकालीन पिछड़े वर्ग के नेता ने सभा को संबोधित किया।

साभार :
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण
खण्ड–1 पेज संख्या 117 से 118 तक
संकलन/सम्पादन ए. आर. अकेला

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा

सर्वे टीम ने ढूंढ निकाली गायब जमीन गंगा घाट उन्नाव समाचार मझरा कटरी ग्राम सभाओं की गायब हुई सरकारी जमीन को पिछले वर्ष लगाई गई। सर्वे टीम ने कई जगहों पर सरकारी भूमि को ढूंढ निकाला कटरी पीपल खेड़ा के अन्तर्गत भूमि संख्या 1718 में स्थित 25 बीघा 4 बिसवा जमीन कागजो में हेराफेरी कर भू माफियाओं ने तहसील कर्मचारियों के साथ मिलकर भूमि को नक्शे से गायब कर उस पर अब जाकर प्लाटिंग कर दी थी। तमाम शिकायतों के बाद मामला जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेने के बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिए थे जिस पर अमल करते हुए सोमवार को एसडीएम की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स के साथ 25 बीघा 4 बीसवा जमीन को सर्वे ने खोज कर मुक्त कराई। वर्तमान समय में जमीन की कीमत लगभग 27 करोड़ 14 लाख रूपये है। कोतवाली क्षेत्र के अर्न्तगत कटरी पीपलखेड़ा के अखलाक नगर में गाटा संख्या 921, 932 में 3 बीघा 4 बीसवा जमीन जिसकी कीमत 4 करोड़ 67 लाख वह गाटा संख्या 1718 में 22 बीघा जमीन पर भूमाफिया ने कागजों में हेराफेरी कर कब्जा कर रखा था। तमाम शिकायतों के बाद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीएम द्वारा जाँच के आदेश पर सोमवार को एसडीएम नूपुर गोयल तहसीलदार विराग करवरिया क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार, नायाब तहसीलदार सदर सचिन्द्र शुक्ला, नायाब तहसीलदार सर्वे मंजुला मिश्रा, कानूनगो विनोद कुमार , अमित त्रिवेदी, लेखपाल मनोज यादव, सत्यम शर्मा, गणेश कुमार, अनिल कुमार यादव, मूलचंद रावत सहित अन्य तहसीलदार कर्मी भारी पुलिस बल के साथ अखलाक नगर पहुँचे। जहाँ पर चिन्हित की गई जमीन पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। इस दौरान कच्चे पक्के अवैध निर्माणों को उठाते हुए राजस्व विभाग की टीम ने 25 बीघा 4 बीसवा सरकारी जमीन को भू माफियांओ से मुक्त कराया। वही भारी पुलिस बल को देखकर कोई भी आगे आने का साहस नही कर सका। वहीं एसडीएम के आदेश पर कटरी पीपलखेड़ा गंगा घाट निवासी भू माफिया नौशाद लारी, शादाब लारी, मुमताज, नैकानी निषाद, धर्मराज निषाद, विमल निषाद, गोलू निषाद, मुस्ताक लारी एवं कानपुर डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी साहब लारी, श्याम नगर निवासी अंशुल ठाकुर उर्फ प्रताप के खिलाफ सरकारी भूमि पर कब्जा करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

इस खबर की पूर्ण जिम्मेदारी संवाददाता
राजकुमार
ब्यूरोचीफ उन्नाव, उ०प्र० की होगी।
(द्रविड़ भारत इस खबर की पुष्टि नहीं करता है)

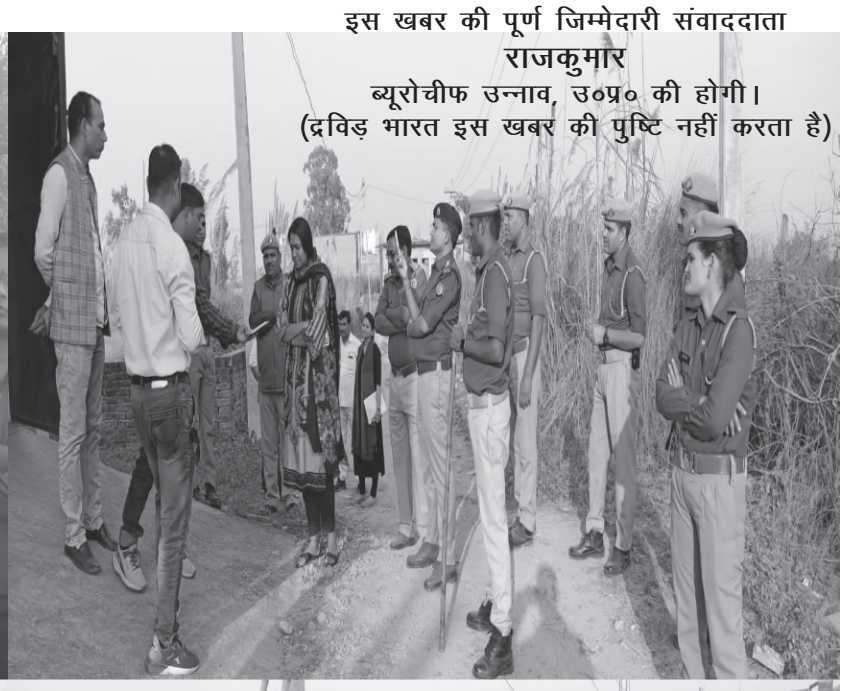

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।